सं. 1(21)/ईV/2018
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
(ई-V अनुभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
12 अप्रैल, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: वर्ष 2004-12 के दौरान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अंशदान जमा न किए जाने अथवा देर से जमा किए जाने के लिए क्षतिपूर्ति।

अधोहस्ताक्षरी को भुगतान और लेखा अधिकारियों/सीडीडीओ और एनसीडीडीओ द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत अंशदान जमा किए जाने की प्रक्रिया सुचारू बनाए जाने के लिए महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा दिनांक 02.09.2008 के का.ज्ञा.सं. 1(7)/2003/टीए/पार्ट फाइल/279 के तहत जारी दिशानिर्देशों की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, एनपीएस न्यासी बैंकों में एनपीएस अंशदान जमा किए जाने की विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनपीएस विनियामक प्रणाली में, उसमें निर्धारित समय-सीमा के अनुसार बगैर विलम्ब के अंशदान जमा हो।

2. 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों और एनपीएस का कार्यान्वयन सुचारू बनाने के उपाय सुझाने के लिए इस विभाग के दिनांक 25.07.2018 के संकल्प सं. 1-2/2016-आईसी के पैरा 15 में उल्लिखित भारत सरकार के निर्णय के अनुसरण में गठित सचिवों की समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 31.01.2019 की अधिसूचना सं. 1/3/2016-पीआर जारी की है, जिसके खण्ड 1(2)(x), 1(2) (xi) और 1(2)(xii) में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

वर्ष 2004-12 के दौरान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अंशदानों को जमा न करने अथवा देरी से जमा करने हेतु क्षतिपूर्ति:

(क) उन सभी मामलों में जिनमें सरकारी कर्मचारी के वेतन में से कटौती तो कर ली गयी थी लेकिन राशि को सीआरए सिस्टम में विप्रेषित नहीं किया गया था अथवा देरी से विप्रेषित किया गया था, राशि को उस तिथि से जब कटौतियां की गयी थीं से लेकर कर्मचारी के एनपीएस खाते में जमा होने तक की तिथि तक की अवधि के लिए जीपीएफ पर समय-समय पर यथा लागू दरों पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करते हुए ब्याज के साथ कर्मचारी के एनपीएस खाते में जमा किया जाए।

(ख) उन सभी मामलों जिनमें वर्ष 2004-2012 के दौरान किसी भी अवधि हेतु सरकारी कर्मचारी के वेतन से एनपीएस अंशदानों की कटौती नहीं की गयी थी, में कर्मचारी को अंशदान अब जमा कराने का विकल्प दिया जाए। यदि वह अब अंशदान जमा करने का विकल्प चुनता है तो राशि को एकमुश्त रूप में अथवा मासिक किश्तों में जमा कराया जा सकता है। किश्त की राशि की कटौती कर्मचारी के वेतन से करके उसे एनपीएस खाते में जमा कराया जा सकता है। उपरोक्त राशि कर्मचारी के अनिवार्य अंशदानों की भांति आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर रियायतों हेतु अर्हक होगी।

- पृष्ठ संख्या 1 -

(ग) उन सभी मामलों जिनमें सरकारी अंशदान सीआरए सिस्टम में विप्रेषित नहीं हुए थे अथवा देरी से विप्रेषित हुए थे (भले ही कर्मचारी अंशदानों की कटौती हुई थी अथवा नहीं), में राशि को उस तिथि जब से सरकारी अंशदान देय थे, से लेकर उस तिथि तक जब राशि कर्मचारी के एनपीएस खाते में वास्तविक रूप से जमा हुई थी, के बीच की अवधि के लिए जीपीएफ पर समय-समय पर यथा लागू दरों पर ब्याज के साथ सरकारी अंशदान को जमा किया जाए। व्यय विभाग/लेखानियंत्रक द्वारा इस संबंध में अनुदेश जारी किए जाएं। देरी के ऐसे सभी मामलों का तीन माह की अवधि में समाधान किया जाए।

3. 31 जनवरी, 2019 की उक्त अधिसूचना के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसरण में, सभी मंत्रालयों/विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में यथा निहित निर्णयों, जहां तक वे सीआरए सिस्टम में एनपीएस अंशदान विलम्ब से जमा करने के मुद्दे से संबंधित हैं, का पालन संबंधित वित्त सलाहकारों और संबंधित पेंशन लेखांकन संगठनों अर्थात् केन्द्रीय सिविल मंत्रालयों/विभागों के संबंध में महालेखा नियंत्रक, रेल मंत्रालय के संबंध में रेल लेखा, डाक विभाग और दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के संबंध में पी एंड टी लेखा और रक्षा सिविलियनों के संबंध में रक्षा महालेखानियंत्रक के परामर्श से किया जाएगा।

4. 31 जनवरी, 2019 की उक्त अधिसूचना में निहित उपर्युक्त निर्णय को लागू करते समय यह सुनिश्चित किया जाना है कि सभी पेंशन लेखा संगठनों में इसके कार्यान्वयन का तौर-तरीका एकसमान हो और इसलिए इस प्रयोजनार्थ तौर-तरीकों का निर्धारण करने के लिए इस विभाग के महालेखा नियंत्रक का कार्यालय नोडल संगठन होगा। तदनुसार, महालेखा नियंत्रक का कार्यालय इस प्रयोजनार्थ दिशा-निर्देश जारी करेगा। इसके लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के संबंधित वित्त सलाहकार केन्द्र बिंदु होंगे।

5. इसकी संभावना है कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अपने प्रशासनिक अधिकार-क्षेत्र में कर्मचारियों के संबंध में उपर्युक्त निर्णय लागू करने के लिए सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी, नामश: एनएसडीएल से आंकड़ों एवं सूचना की आवश्यकता पड़े। इसलिए सीआरए, मंत्रालयों/विभागों द्वारा ऐसी कार्रवाई में मदद करने के लिए अपने रिकॉर्ड और ऐसे सभी मामलों की जांच करेगी, जो 31 जनवरी, 2019 की उक्त अधिसूचना में निहित निर्णय में शामिल हैं, और अपनी ओर से कर्मचारी-वार ऐसा ब्यौरा इन आदेशों के जारी होने की तारीख से 15 दिन के अंदर उस संबंधित कार्यालयाध्यक्ष तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी/भुगतान और लेखा अधिकारी को भेजेगी जहां कर्मचारी फिलहाल पदस्थ है ताकि मंत्रालयों/विभागों द्वारा वांछित कार्रवाई समय से शुरू की जा सके।

6. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों पर इनके लागू होने का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

अमरनाथ सिंह

(अमर नाथ सिंह)
निदेशक

सेवा में

1. सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)।
2. सभी मंत्रालयों/विभागों के वित्त सलाहकार।
3. सभी मंत्रालयों/विभागों के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक/ मुख्य लेखा नियंत्रक
4. महालेखा नियंत्रक
5. रक्षा महालेखा नियंत्रक
6. संघ लोक सेवा आयोग

- पृष्ठ संख्या 3 का 2 -

7. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
8. एनएसडीएल को, इन आदेशों के पैरा 5 के अनुसार कार्रवाई करने हेतु।